न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 25/2018 दिनांक–13–03–2018

1. श्री प्रभू पुत्र मधला उर्फ मघाराम जाति नायक निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. महाबीर पुत्र मधला उर्फ मघाराम जाति नायक निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. नथूराम पुत्र मंगला जाति नायक निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. संतोष पुत्री मंगला पत्नी श्री शंकर जाति नायक निवासी रावतसर तहसील राजगढ जिला चुरू।
3. परमेश्वरी पुत्री मंगला, पत्नी श्रीराम जाति नायक निवासी रावतसर तहसील राजगढ जिला चुरू।
4. चूनिया उर्फ चूना पुत्र सुरजिया जाति नायक निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. श्रीचन्द पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. महाबीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. संतोष पुत्री स्व. श्री भागीरथ पत्नी श्री मनफूल जाति जाट निवासी धायलो का बास पोस्ट कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. बनवारी पुत्र तिलोका जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
9. कमला देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
10. मनोज कुमार दतक पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
11. राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
12. संदीप कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
13. मनभरी पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
14. सन्तोष देवी पत्नी शंकरलाल जाति नायक निवासी रावतसर तहसील राजगढ जिला चुरू वर्तमान निवासी कसेरू तहसील नवलगढ़।
15. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार जी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील अनावेदक :– श्री अमरसिंह शेखावत
श्री विजेन्द्र सिंह दूत

वाद पत्र :– आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955
वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

आदेश

दिनांक 25–02–2020

आवेदक ने प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर पुराने 25 रकबा 5 बीघा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 4 बीघा 16 बीश्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 3 बीघा 19 बीश्वा एवं खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बीश्वा, कुल किता 19 बीघा 9 बीश्वा पुख्ता वाके तन ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। जिनके नये सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 45/1.31, 336/1.21, 661/1.00, 341/1.39, हेक्टर अंकित दिये गये है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण/वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 पर्यन्त 4 की पैतृक संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमियां है, जिनमें प्रार्थीगण/वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 पर्यन्त 3 का मिलाकर हिस्सा 1/4 एवं प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/4 है। प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 पर्यन्त 4 उपरोक्त हिस्सानुसार उपरोक्त कृषि भूमियों को अपने बाप दादा के समय से ही काश्त करते आ रहे है एवं काबिज है। आवेदन पत्र में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 के दादा एवं प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 पर्यन्त 3 के परदादा चन्दरा उर्फ चन्द्रा पुत्र पन्नाराम नायक ठिकाना खेतडी जागीरदार श्री सरदार सिंह के समय से काश्त करते थे एवं काबिज थें। उक्त चन्दरा उर्फ चन्द्रा की मृत्यू के पश्चात उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों को उसके दोनो पुत्र सुरजिया एवं मघला सममाग में शामिल में काश्त करने लगे एवं काबिज हो गए। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में सुरजिया का हिस्सा 1/2 एवं मघला का हिस्सा 1/2 था।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय वादग्रस्त कृषि भूमियों की खसरा गिरदावरियों में कृषक के तोर पर सुरजा मंगला पिसरान चन्दरा नायक का नाम अंकित हो गया। वस्तुतः मंगला के पिता का नाम चन्द्रा नही था, बल्कि सुरजा उर्फ सुरजिया था। वादग्रस्त कृषि भूमियों की खसरा गिरदावरियों सम्वत् 2009 से 2012 में यही अंकन हो गया। वास्तव में खसरा गिरदावरियों में मंगला पुत्र चन्दरा के स्थान पर मघला पुत्र चन्दरा अंकित होना चाहिए था। चन्दरा के दो ही पुत्र सुरजिया उर्फ सुरजा तथा मघला थे। चन्दरा के मंगला नाम का कोई पुत्र नही था। सम्वत् 2009 से 2012 की खसरा गिरदावरी में अंकित मंगला पुत्र चन्दरा के गलत नाम का अनुचित लाभ उठाकर, मंगला पुत्र सुरजिया एवं चुनिया पुत्र सुरजिया ने बाला–बाला राजस्व अधिकारियों से साज करके वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी मंगला, चूनिया पिसरान सुरजिया नायक के नाम से गलत अंकित करवा ली। जिसका कोई अधिकार नही था। वस्तुतः वादग्रस्त कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा की खातेदारी का अंकन मघला पुत्र चन्दरा के नाम से होना चाहिए था। उपरोक्त गलत कार्यवाही मंगला, चूनिया पुत्रगण सुरजिया नायक ने बिना किसी आधार के एवं बिना किसी न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी के निर्णय एवं आदेश के करवा ली है। चन्दरा पुत्र पन्नाराम के दो बेटे सुरजिया एवं मघला थे। सुरजा के दो बेटे मंगला एवं चूनिया हुए। जिनमें मंगला की मृत्यू हो चुकी है। मंगला पुत्र सुरजिया के पुत्र का नाम नथूराम (प्रत्यार्थी /प्रतिवादी संख्या 1) एवं पुत्रियों का नाम संतोष एवं परमेश्वरी (कमश : प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3) हे। मघला के दो पुत्र प्रभू (प्रार्थी/वादी संख्या 1) तथा महाबीर (प्रार्थी/वादी संख्या 2) है। वादग्रस्त कृषि भूमियों को चन्दरा पुत्र पन्नाराम ठिकाना के समय से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही काश्त करता आ रहा था। चन्दरा उर्फ चन्द्रा पुत्र पन्नाराम की मृत्यू सम्वत् 1990 में हो गई। चन्दरा उर्फ चन्द्रा की मृत्यू के पश्चात उसके दोनो पुत्र सुरजिया एवं मघला वादग्रस्त कृषि भूमियों को समभाग में संयुक्त रूप से काश्त करते रहे।

खसरा नम्बर 179 रकबा 4 बीघा 16 बीश्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 3 बीघा 19 बीश्वा एवं खसरा नम्बर 25 रकबा 5 बीघा 4 बीश्वा कुल रकबा 13 बीघा 14 बिश्वा पुख्ता की खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबंदी में सम्वत 2018 से 2021, 2002 से 2025, 2026 से 2029 तक के गलत रूप से मंगला, चूनिया पुत्रगण सुरजिया

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

नायक के अकेलों के नाम से अंकित होती रही। तत्पश्चात नये सेटलमेन्ट में उपरोक्त कृषि भूमियों के नये खसरा नम्बर क्रमशः 336/121, 661/1.00, 45/1.31 हैक्टर कुल रकबा 3.52 हैक्टर कर दिये गये। नये खसरा नम्बर 336, 661 एवं 45 की खातेदारी राजस्व अभिलेख में आधार वर्ष सम्वत 2043 सम्वत् 2046 से 2049 में भी गलत रूप से मंगला चूना पुत्रगण सुरजा नायक के अकेलो के नाम में अंकित होती रही। वास्तव में उपरोक्त कृषि भूमियों की खातेदारी 1/2 हिस्सा की प्रार्थीगण/वादीगण के पिता मघला पुत्र चन्दरा नायक की अंकित होनी चाहिए थी।

मघला पुत्र चन्दरा नायक (पिता प्रार्थीगण/वादीगण) की मृत्यू सन 1991 में हो गई थी। मघला की मृत्यू के पश्चात विवादित कृषि भूमियों का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.1992 को प्रार्थीगण/वादीगण प्रभू एवं महाबीर के नाम से ग्राम पंचायत कसेरू द्वारा तस्दीक किया गया। किन्तु नामों में उच्चारण के भ्रमवश प्रभू एवं महाबीर की वल्दियत मघला के स्थान पर गलतफहमी से मंगला अंकित कर दी गई। जिसको प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नही है। वल्दियत के नाम से संशोधन कराने का अनुतोष इसी वाद में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा आगे चाहा जा रहा है। उक्त नामान्तरकरण मृतक मघला के वारिसान बाबत जांच कर वादीगण के नाम से भरा गया है। इस नामान्तरकरण का उल्लेख जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 मे कर दिया गया है। वास्तव में नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.1.1992 को मघला पुत्र चन्दरा उर्फ चन्द्रा की विरासत का ही तस्दीक किया गया। यह नामान्तकरण मंगला पुत्र सुरजिया की विरासत का हो ही सकता है। मंगला पुत्र सुरजिया की मृत्यू सन् 1982 में ही हो चुकी थी। सन् 1982 की विरासत का नामान्तरकरण 10 वर्षो के बाद सन् 1992 में तस्दीक होने का कोई कारण उपलब्ध नही है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 45, 336 व 661 की खातेदारी का राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061 में तथा आधार वर्ष 2005 एंव संवत 2066 से 2069 में प्रार्थीगण/वादीगण की खातेदारी 1/2 हिस्सा की अंकित होती रही है। किन्तु नामों की साम्यता के कारण एंव उच्चारण में गलतफहमी तथा भ्रमवंश प्रार्थीगण/वादीगण की वल्दियत मघला के स्थान पर मंगला गलत अंकित हो गई। इस कारण वल्दियत में सुधार के लिए इसी वाद पत्र में आगे राजस्व अभिलेख में संशोधन की सहायता चाही गई है।

पुराने खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बीश्वा पुख्ता जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर कर दिये गये है, वाके तन ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की खातेदारी संवत 2018 में स्वयं को उप कृषक बताकर, तिलोका पुत्र इसर कौम जाट निवासी कसेरू ने राजस्व अधिकारियों से साज करके अपने नाम से कतई गलत रूप से अंकित करवा ली। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण/वादीगण के पिता मघला पुत्र चन्दरा नायक की 1/2 हिस्सा की कब्जा, काश्त एवं खातेदारी थी। मघला पुत्र चन्दरा जाति से नायक था। जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। तिलोका पुत्र इसर जाट स्वर्ण जाति का था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 की उप धारा (ख) के अनुसार किसी भी अनुसुचित जाति की खातेदारी की कृषि भूमि का हस्तान्तरण, किसी भी अन्य जाति के पक्ष में होना कानूनन वर्जित होने से तिलोका पुत्र इसर जाट को उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम से कराने का कोई कानूनी अधिकार नही था। धारा 42 की उपधारा (ख) के प्रावधानो के उल्लंघन में प्राप्त खातेदारी स्वतः ही एवं प्रथमतः ही अवैध मानी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बीश्वा की खातेदारी संवत 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2026 से 2029 के गलत रूप से एवं कानून के प्रावधानो के विरूद्ध तिलोका पुत्र इसर जाति जाट के नाम से अंकित होती रही। इसी प्रकार नये सेटलमेन्ट के पश्चात आधार वर्ष संवत 2043 में गलत रूप से खातेदारी तिलोका पुत्र ईशर जाट के नाम से अंकित हो गई। तिलोका की मृत्यू के पश्चात खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर की खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांकित 19.05.1986 के अनुसार विरासत के आधार पर उसकी बेवा जमना एवं पुत्रों भागीरथ, रामेश्वर, रामकुमार एवं बनवारी के नाम में गलत रूप से अंकित हो गई। जिसका अंकन संवत् 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2054 से 2057 तथा 2058 से 2061 के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में यथावत होता रहा। रामेश्वर पुत्र तिलोका के फौत होने पर उसकी विरसत का नामान्तरकरण संख्या 291 दिनांक 20.08.2001 को उसकी बेवा मनभरी एवं पुत्रों राजेश कुमार, सन्दीप कुमार के नाम तस्दीक कर दिया। तत्पश्चात जमना बेवा तिलोका के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 324 दिनांक 20.02.2003 को तस्दीक किया गया। इस प्रकार आधार वर्ष सन् 2005 संवत 2066 से 2069 की जमाबंदी में उक्त कृषि भूमि की खातेदारी गलत रूप से भागीरथ, रामकुवार, बनवारी पुत्रगण तिलोका जाट हिस्सा 3/4 एवं राजेश कुमार संदीप कुमार पुत्रगण रामेश्वर जाट एवं मनभरी पत्नी रामेश्वर जाट हिस्सा 1/4 अंकित हो गई। रामकुमार पुत्र तिलोका की मृत्यू होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 869 दिनांक 05.09.2014 को उसकी बेवा कमलादेवी एवं दतक पुत्र मनोज कुमार के नाम से तस्दीक कर दिया गया। भागीरथ पुत्र तिलोका की मृत्यू हो चुकी है। जिसके उतराधिकारी प्रत्याथीगण/प्रतिवादीगण 5 पर्यन्त 7 है। उक्त कृषि भूमि में जब तक प्रार्थीगण/वादीगण का पिता मघला पुत्र चन्दरा जीवित रहा, उसकी 1/2 हिस्सा की कब्जा काश्त एवं खातेदारी रही एवं मघला की मृत्यू के पश्चात् प्रार्थीगण/वादीगण की 1/2 हिस्सा की कब्जा, काश्त एवं खातेदारी है। कानून के विरूद्ध अंकित खातेदारी को एवं इससे सम्बन्धित समस्त नामांतरकरणों को प्रार्थीगण/वादीगण द्वाराइस वाद पत्र के माध्यम से चुनौती दी रही है।

वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 पर्यन्त 4 की पैतृक, संयुक्त एवं अविभाजित कृषि भूमियां है, जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण के पिता का 1/2 हिस्सा रहा है। मघला पुत्र चन्दरा की सन् 1991 में मृत्यू होगई। तत्पश्चात विरासरत के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण 1/2 हिस्सा के काबिज काश्तकार खातेदार बन गए। किन्तु राजस्व अभिलेख जमाबंदी इत्यादि में प्रार्थीगण/वादीगण के पिता मघला का नाम भ्रमवंश एवं राजस्व अधिकारियों की लापरवाही तथा गलतफहमी से दर्ज नही हो सका। तथा वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी में खसरा नम्बर 25, 179 एंव 253 कुल रकबा 13 बीघा 14 बीश्वा में मंगला, चूनिया पुत्रगण सुरजिया का एवं खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बीश्वा में तिलोका पुत्र इसर का नाम पूरे रकबा पर गलत अंकित हो गया। बाद में संवत 2046 से 2050 की जमाबंदी मे प्रार्थीगण/वादीगण का खसरा नम्बर 45, 366 एव 661 कुल रकबा 3.52 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी पर नाम तो सही अंकित हो गया, किन्तु भ्रमवंश एवं भूलवंश एवं राजस्व अधिकारियों की लापरवाही एवं गलतफहमी से वल्दियत मे मघला के स्थान पर मंगला का नाम गलत अंकित हो गया। खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर में तिलोका की मृत्यू पश्चात् उसके वारिसान जमना बेवा तिलोका एवं भागीरथ, रामेश्वर, रामकुमार, बनवारी पुत्रगण तिलोका का नाम अंकित हो गया। जमना

खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

की मृत्यू होने पर नामान्तरकरण संख्या 324 दिनांकित 20.02.2003 को भागीरथ, रामकुमार, बनवारी पुत्रगण तिलोका हिस्सा 3/4 राजेश कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रगण रामेश्वर मनभरी बेवा स्व. रामेश्वर हिस्सा 1/4 के नाम से तस्दीक कर दिया गया। रामेश्वर पुत्र तिलोका की मृत्यू होने पर नामान्तकरण संख्या 291 दिनांकित 20.08.2001 को प्रत्यार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 पर्यन्त 13 के नाम से तस्दीक कर दिया गया। जबकि उक्त कृषि भूमि की खातेदारी में प्रार्थीगण/वादीगण के पिता मघला पुत्र चन्दरा का 1/2 हिस्सा तथा मघला की मृत्यू के पश्चात प्रार्थीगण/वादीगण का 1/2 हिस्सा अंकित होना चाहिए था। उपरोक्त समस्त गलत अंकन से प्रार्थीगण/वादीगण के कानूनी एवं खातेदारी अधिकारों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए खातेदारी में उपरोक्त गलत अंकन को चुनौती देना प्रार्थीगण/वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है।

वादग्रस्त कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 25, 179, 253 कुल रकबा 13 बीघा 14 बीश्वा पुख्ता जिनके नये खसरा नम्बर 336, 661, 45 कुल रकबा 3.52 हैक्टर वाके तन ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू के राजस्व अभिलेख जमाबंदी वगैरह में जहां–जहां मंगला, चूनिया पिसरान सुरजिया नायक अंकित किया हुआ है, वहां 1/2 हिस्सा में उनके नाम को हटाया जाकर, उनके स्थान पर 1/2 हिस्सा में नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.1992 के तस्दीक करने से पूर्व मघला पुत्र चन्दरा का तथा उसके पश्चात् प्रार्थीगण/वादीगण का नाम बतौर काबिज, काश्तकार खातेदार अंकित किया जावे। तथा जहां जहां प्रभू महाबीर पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 अंकित किया हुआ है, वहां प्रभू महाबीर की वल्दियत में संशोधन कर मंगला के स्थान पर मघला अंकित किया जावे। खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर वाके तन ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में जहां जहां तिलोका पुत्र इसर कौम जाट एवं जमना बेवा तिलोका, भागीरथ, रामेश्वर रामकुमार बनवारी लाल तथा राजेश कुमार, सन्दीप कुमार पुत्रगण रामेश्वर एवं मनभरी बेवा रामेश्वर एवं श्रीचन्द महाबीर पुत्रगण भागीरथ व मु0 संतोष पुत्री भागीरथ अंकित है, उसे हटाया जाकर 1/2 हिस्सा पर नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांकित 03.01.1992 के तस्दीक करने के पूर्व मघला पुत्र चन्दरा नायक एवं इसके पश्चात् प्रार्थीगण/वादीगण का नाम बतौर काबिज काश्तकार खातेदार अंकित किया जावे। तदहेतु वाद नियोजन किया जा रहा है।

तिलोका की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांकित 19.05.1986 रामेश्वर पुत्र तिलोका जाट की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 291 दिनांकित 20.08.2001 जमना बेवा तिलोका जाट की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 324 दिनांकित 20.02.2003 रहननामा के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 775 दिनांकित 07.12.2012 रहाना के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांकित 09.09.2013 एंव गोदनामा के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 869 दिनांकित 05.09.2014 निम्नलिखित कारणों से अवैध शून्य एवं प्रभावहीन है :–

1. उपरोक्त समस्त नामान्तरकरण मजमा ए आम में तस्दीक नही किये गया है।
2. नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व वास्तविक कब्जा, काश्त बाबत कोई जांच नही की गई।
3. नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में धारा 42ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

प्रत्यार्थी/प्रतिवादी संख्या 14 वादग्रस्त कृषि भूमि खसरानम्बर 45 की सह–खातेदारी है, इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से उसे वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र में बतौर औपचारिक प्रत्यार्थी/प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया जा रहा है। प्रार्थीगण/वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमियों के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करने के लिए प्रत्याथीगण/प्रतिवादीगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थीगण/वादीगण का प्रथम दृष्टा केस अत्यन्त सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन उनके पक्ष मे है। यदि तादौराने दावा प्राथीगण/वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमियों से बेदखल कर दिया गया अथवा वादग्रस्त कृषि भूमियों का जरिये विकय पत्र दान पत्र बन्धकनामा इत्यादि के किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीगण/वादीगण को असीम असुविधा एवं आर्थिक क्षति होगी तथा वादाधिक्य को बढावा मिलेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति कानून में की भी सम्भव नही है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष का निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रत्यार्थीगण/प्रतिवादीगण को मय नौकर चाकर प्रतिनिधि अधिकारी के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तादौराने दावा प्रतिबन्धित किया जावे कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियां वर्णित आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 में प्रार्थीगण /वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने से एवं वादग्रस्त कृषि भूमियों का जरिये विकय पत्र दान पत्र बन्धकनामा इत्यादि के किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरण करने से बाज रहे एवं राजस्व अभिलेख एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 1, 2, व 4 की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत व अनावेदकगण संख्या 8 लगायत 13 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह दूत ने अपना वकालत नामा पेश किया तथा वकील अनावेकदगण संख्या 1, 2, 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित किया गया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दावा पेश करना स्वीकार है, बाकी तथ्य जिस तरह से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। अनावेदकगण का मामला कमजोर आधारो पर होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 जिस तरह से दर्ज है, अस्वीकार है पुराना खसरा नम्बर 25 रकबा 5 बीघा 4 बीश्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 4 बीघा 16 बीश्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 3 बीघा 19 बीश्वा खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बीश्वा कुल रकबा 20 बीघा 9 बिश्वा वाके ग्राम कसेय तहसील नवलगढ में अवस्थित है, जो सेटलमेंट खसरा नमबर 45, 336, 341, 661 रकबा क्रमशः 1.31, 1.21, 1.39, 1.00 हेक्टर है। उक्त कृषि भूमि जवाबदेहन्दा के पिता मिसल हकीयत ग्राम मौजा कसेरू सुरजा मंगला पिता चन्द्रा खुद काश्त दर्ज है। उक्त आराजियात जवाबदेहन्दा की पैत्रिक व पीढियों से चली आ रही है। आवेदकगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है, ना ही कभी कोई संबंध रहा। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व व उसके बाद जवाबदेहन्दा के पूर्वजो के नाम से चली आ रही थी व इसके बाद जवाबदेहन्दागण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कहना गलत हे कि परदादा चन्द्रा उर्फ चन्दा पुत्र पन्नाराम नायक ठिकाना खेतडी के समय से ही काश्त करता हो, बल्कि ठिकाना खेतडी तहसील अजीतगढ बन्दोबस्त सम्वत 1997 में सुरजा मंगला की खातेदारी में खातेदारी खुद काश्त कब्जे में चली आ रही है, इसी प्रकार खतौनी में व राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में दर्ज है। मधला का उक्त भूमि से कभी भी कोई संबंध नही रहा। सुरजा व मंगला ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे है, इनके फौत होने पर इनके वारिसान खातेदारी व काश्तकारी में चली आ रही है। यह कहना भी गलत है कि मधला का 1/2 हिस्सा हो गया हो, वाद व प्रार्थना पत्र गलत आधारो पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने लायक है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है यह कहना गलत है। कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने पर वादग्रस्त भूमि का खसरा गिरदावरी में प्रविष्ट होने मात्र से किसी को कोई कानूनी अधिकार पैदा नही होता है न ही खसरा गिरदावरी के आधार पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त होते है। खसरा गिरदावरी के आधार पर न तो आवेदकगण कानूनन उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है, न ही उक्त खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में मघा पुत्र चन्द्रा का नाम अंकित है। सम्वत 2014से 2022 में खसरा नम्बर 253 रकबा 3 बीघा 19 बिश्वा की काश्त मे दर्ज है, उक्त गिरदावरी के आधार पर धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान टेनेन्सी एक्ट प्रभाव मं आने के 2वर्ष की मियाद के अन्दर आवेदन करने पर खातेदारी हेतु अधिकार रखता था परन्तु समयावधि में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर उक्त गिरदावरी के आधार पर वाद घोषणार्थ प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। यह कहना गलत है कि नाम को अनुचित फायदा उठाकर मंगला व सुरला का बाला–बाला राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित करा लिया हो बल्कि राजस्व रिकार्ड ठिकाना के समय से ही जवाबदेहन्दा के पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है, इसलिये सक्षम अधिकारी से आदेश अथवा निर्णय लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता, मंगला की मृत्यू हो चुकी है, मंगला के नत्थू व पुत्रियों संतोष व परमेश्वरी है व चुना पुत्र सुरजा की खातेदारी की भूमि है, उक्त भूमि में आवेदक को कोई हक अधिकार नही है। यह कहना भी गलत है कि वादीगण ने कभी भी उक्त आराजियात को काश्त किया हो अथवा शामलाती में काश्त किया हो, तमाम बाते मनगढत बेबुनियाद आधारो पर प्रस्तुत किया है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। पुराने भूमि खसरा नम्बर 179,253, 25 की भूमि राजस्व अभिलेख मे सम्वत् 1997 से लगातार सुरजा व मंगला पुत्र चन्द्रा के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड में चही आ रही है। यह कहना भी गलत है कि सम्वत 2043, 2046, 2049 में गलत चली आ रही हो बल्कि सही दर्ज अंकित चली आ रही है, यह कहना भी गलत है कि आवेदकगण का 1/2 हिस्सा हो। प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि मधला की मृत्यू 1991 में हो गई हो, बल्कि मंगला पुत्र चन्द्रा की मृत्यू होने पर नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.1992 को आवेदकगण ने तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच से साज कर जवाबदेहन्दा की भूमि मे अपने नाम से दर्ज कराया, चूंकि नामान्तकरण की कार्यवाही मात्र फिशकल प्रोसेडिंग है, इससे किसी को कोई राईट पैदा नही होता है, मात्र किससे लगान लिया जावे, इसी के लिए है, टाईटल रेगूलर वाद से प्राप्त होते है, उक्त नामान्तकरण की जवाबदेहन्दा द्वार अपील संख्या 4/17 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ में प्रस्तुत करने पर दिनांक 04.05.2018 को नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.1992 खारीज कर दिया गया तथा पुनः जांच हेतु तहसीलदार नवलगढ को भेजा गया, जो जैर जांच तहसीलदार नवलगढ के यहां विचाराधीन है। उक्त नामान्तकरण में फर्जी तौर पर मंगला की जगह मधला के वारिसान द्वारा गलत दर्ज करवाया जबकि दोनो नाम अलग–अलग है ओर वल्दियत भी अलग–अलग है, परन्तु आवेदकगण धूर्त चालाक किस्म के व्यक्ति होने व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

तत्कालीन सरपंच से साज कर गलत नामान्तकरण दर्ज करवाया जो दिनांक 04.05.2018 को नामान्तकरण निरस्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र की धारा 6 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि खसरा नम्बर 45, 336, 661 की खातेदारी आवेदकगण के नाम से आती हो, बल्कि गलत नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.1992 के द्वारा गलत दर्ज होने के कारण से गलत राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है। उक्त गलत नामान्तकरण व गलत राजस्व रिकार्ड से आवेदकगण को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। यह कहना भी गलत है कि मंगला व मघला एक ही व्यक्ति होना गलत अंकित किया है, जबकि सही मघा जिसके वारिसान आवेदकगण है, मंगला पुत्र चन्द्रा के वारिसान जवाबदेहन्दा 1, 2, 3 वारिसान है, इसलिये आवेदकगण अभिलेख में किसी प्रकार का सुधार करवाने का अधिकार नही है। खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर की खातेदारी बिना किसी कानून के त्रिलोक पुत्र इशर जाति जाट के नाम से गलत अंकित की गई है, उक्त भूमि भी अनुसूचित जाति के जवाबदेहन्दरा की होने के कारण से अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वोयलेशन होने के कारण से राजस्व रिकार्ड में इनकी प्रविष्टि हटाई जावे। चूंकि उक्त रकबा जवाबदेहन्दा का है न कि आवेदकगण का है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 189 की खातेदारी त्रिलोका पुत्र इसर के नाम से गलत अंकित है, उक्त गलत प्रविष्टि से उसको कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नही होते है, ना ही इनके वारिसान को कोई कानूनी अधिकार पैदा होते है, क्योंकि उक्त प्रविष्टि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 उपधारा ख के विपरित होने से त्रिलोका पुत्र ईसर व उसके वारिसान को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है, न ही कानूनन इनको किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त होता है। जवाबदेहन्दा की भूमि गलत रूप से अनावेदकगण नम्बर 5 लगायत 14 के नाम से गलत दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि जवाबदेहन्दा की है, आवेदकगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि से आवेदकगण को कोई हक हिस्सा हो बल्कि जवाबदेहन्दा की पैत्रिक भूमि है, जो पीढियों से चली आ रही है, जिसके आवेदकगण खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। यह कहना भी गलत है कि मधला उर्फ मधा की मृत्यू 1991 में हुई हो, बल्कि मंगला की 1980 मे होने पर तत्कालीन सरपंच से आवेदकगण साज कर मंगला के वारिसान बनकर अपने नाम से नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 03.01.1992 गलत दर्ज करवा लिया, जिसको न्यायालय में चुनौती देने पर दिनांक 04.05.2018 को नामान्तकरण न्यायालय द्वारा निरस्त कर लिया गया। उक्त नामान्तकरण निरस्त करने के बाद गलत आधारो पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है। यह कहना भी गलत है कि उक्त रकबा में आवेदक का कोई हक हिस्सा हो बल्कि जवाबदेहन्दा की खातेदारी की भूमि हो जिस पर जवाबदेहन्दा का कब्जा चला आ रहा है, बिना कोई डिक्री आदेश त्रिलोका पुत्र ईशर के नाम से जमाबंदी में प्रविष्टि व उसके वारिसान का नाम से नामान्तकरण संख्या 324 दिनांक 20.02.2003 गलत रूप से व कानून के वोयलेशन के आधार पर गलत दर्ज किया है, जो उनकी खातेदारी निरस्त कर जवाबदेहन्दा की खातेदारी में अंकित की जावे। खसरा नम्बर 25, 179, 253 कुल रकबा 13 बीघा 14 बीश्वा जवाब देहन्दा के पूर्वज मंगला व सुरजा की खातेदारी में ठिकाना के समय से ही चली रही थी, मंगला की मृत्यू के बाद से उसके वारिसान अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 की खातेदारी व सुरजा के फौत होन पर उसका एक मात्र वारिस अनावेदक नम्बर 4 की खातेदारी में चली आ रही है, मंगला के फौत होने पर मधा के वारिसान द्वारा गलत रूप से नाजायज मघा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

के वारिसान द्वारा मंगला की खातेदारी की भूमि मे गलत रूप से मंगला के वारिसान बनकर खातेदार बिना जांच सरसरी के नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.1992 गलत रूप से तस्दीक करवाने पर जवाबदेहन्दा द्वारा चुनौती देने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.01.1992 को 04.05.2018 को खारिज कर दिया गया, जो जवाबदेहन्दा के खिलाफ अवैध व शून्य होने के कारण से खारिज किया है तथा खसरा नम्बर 189 की खातेदारी त्रिलोका पुत्र इसर के नाम से कानून के विपरित व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा "ख" के विपरित होने के कारण से किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही होने के कारण से खातेदारी अवसान समाप्त कर जवाबदेहन्दा के नाम से घोषित किया जावे। आवेदकगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन पक्ष में नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

वकील अनावेदक नं. 1, 2, व 4 की ओर से अतिरिक्त उतर प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि वाके ग्राम कसेरू तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नमबर 25 रकबा 5 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 4 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 3 बीघा 14 बीश्वा, खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 10 बिश्वा कुल 19 बीघा 9 बीश्वा अवस्थित है, जो जागीरी पुर्नग्रहण अधिनियम तत्कालीन ठिकाना खेतडी खेवटवार मौजा कसेरू तहसील अजीतगढ खेतडी बाबत बन्दोबस्त सम्वत 1997 के सुरजा व मंगला पिजा चन्द्रा जाति नायक की खुदकाश्त की खातेदारी में चली आ रही है, बाद जमाबन्दी भी इन्ही के नाम से चली आ रही थी, इनके फौत होन पर जवाबदेहन्दा की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है, जो पीढियों से चली आ रही है, जिसके बाद भू–प्रबन्ध के नये खसरा नम्बर 45, 336, 661 व 341 है, जो जवाबदेहन्दा की खातेदारी कश्तकारी में चली आ रही है, उक्त भूमि से आवेदकगण का कोई संबंध नही है।

आवेदकगण ने चतुराई व चालाकी से मंगला पुत्र चन्द्रा की मृत्यू होने पर तत्कालीन सरपंच से साज कर बिना कोई जांच किये मंगला के वारिसान बनाकर नामान्तकरण 111 गलत रूप से दर्ज करवाने पर बाद अपील मुकदमा नम्बर 04/2017 दिनांक 04.05.2018 को उक्त नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। मंगला की खतेदारी से आवेदकगण का कोई संबंध नही हैं। आवेदकगण मधा से वारिसान है और मधा की भूमि को आवेदकगण द्वारा बेचान कर दिया गया है। आवेदकगण गलत आधारो पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

वकील अनावेदकगण संख्या 8 लगायत 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दावा पेश करना स्वीकार है, बाकी तथ्य जिस तरह से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण का मामला कमजोर आधारो पर आधारित होने से खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि का स्थित होना स्वीकार है तथा शेष तथ्य गलत व मनगढत होने से अस्वीकार है। हालांकि उक्त धारा में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 189 तादादी 5 बीघा 10 बीश्वा पुख्ता जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर उतरदातागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर उतरदातागण का उनके पूर्वजो के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब से काबिज व आबाद है और निर्विवाद रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त धारा में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि में आवेदकगण का 1/2 हिस्सा व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा एवं अनावेदक

Scanned by CamScanner

नम्बर 4 का 1/4 हिस्सा गलत दर्ज किया है। इस प्रकार से कभी भी राजस्व रिकार्ड दर्ज नही रहा है जबकि उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड पहले उतरदातागण के पूर्वज तिलोका पुत्र ईशर कौम जाट के नाम दर्ज रहा है और जिसके स्वर्गवास पश्चात उसके स्थान पर उतरदातागण के पक्ष में अन्तकाल भरा जाकर खातेदारी दर्ज हुई है, जिसके मुताबिक उतरदातागण अनावेदक नम्बर 8 का 1/4 हिस्सा व अनावेदकगण नम्बर 9 व 10 का 1/4 हिस्सा एवं अनावेदकगण नम्बर 11 से 13 का 1/4 हिस्सा है और 1/4 हिस्सा अनावेदकगण नम्बर 5 से 7 का है, इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रही है और कब्जा काश्त है तथा उक्त प्रश्न गत कृषि भूमि पर आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही खातेदार काश्तकार रहे है अर्थात आवेदकगण के पास ना तो टाईटल है और ना ही कब्जा है, जिसके अभाव में आवेदकगण का उक्त वाद पत्र घोषणार्थ व विभाजन का चलने योग्य नही है। उक्त धारा में प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39हैक्टर के अलावा अन्य कृषि भूमि के बारे में जिक किया है, जिसके संबंध में उतरदातागण कोई क्लेम नही कर रहे है, इस कारण जवाब की कोई जरूरत नही है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 प्रश्नगत कृषि भूमि पर अलग-अलग तरीके से क्लेम कर रहे है और खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है, जो एकदम से गलत है तथा उक्त धारा में प्रश्नगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड बिना किसी न्यायालय व सक्षम अधिकारी के निर्णय व आदेश के गलत कार्यवाही करके दर्ज करवाना बताया है, जबकि उतरदातागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 341 का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, बल्कि प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड के पहले खातेदारी उतरदातागण के पूर्वजों के नाम से दर्ज रही है और उसके पश्चात उतरदातागण व अनावेदगण नम्बर 5 लगायत 7 के नाम से दर्ज हुई है, इसी प्रकार से कब्जा काश्त व स्वामित्व रहा है, लेकिन आवेदकगण ने राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के बारे में सही तथ्य दर्ज नही किये है बल्कि न्यायालय को मुगालते में रखकर गलत तथ्य दर्ज करके उतरदातागण की कृषि भूमि को हड़पना चाहते है, जिनको कानूनी दृष्टि से कोई हक अधिकार नही है और मघला व मंगला का आपस में विवाद पैदा करके न्यायालय को गुमराह करके कैसे भी वादीगण उतरदातागण की प्रश्नगत कृषि भूमि प्राप्त करने की कुचेष्टा में लगे हुये है, जो कानूनी रूप से गलत है तथा उतरदातागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि नये खसरा नम्बर 341 से मघला व मंगला एंव उसके वारिसान का कोई लेना-देना व सरोकार नही है और इसके अलावा अन्य भूमि के संबंध में आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लागयत 4 का आपसी विवाद है, जिससे उतरदातागण का कोई संबंध नही है, लेकिन आवेकगण ने क्लीन हैण्ड से वाद-पत्र पेश नही किया है इसलिए वाद -पत्र/ प्रार्थना पत्र खारीज होन योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 दर्ज तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा उक्त धारा में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि से उतरदातागण का कोई संबंध नही होने से जवाब की कोई आवश्यकता नही है। वाद पत्र में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 25, 179 व 253 जिसके नये खसरा नम्बर 336, 661, 45 के संबंध में एवं उसके भरे गये नामान्तकरणों से उतरदातागण का कोई विवाद नही है। उतरदातागण का विवाद केवल नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर के बाबत है, जिसका जवाब ऊपर दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र की धारा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

6 दर्ज तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। उक्त धारा में दर्ज तथ्यों को साबित करने का भार आवेदकगण पर है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर उतरदातागण के पूर्वजो का जागीरदारी प्रथा के समय से ही कब्जा काश्त व स्वामित्व रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आया तब भी उतरदातागण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है और उसके पश्चात उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि पर शांति पूर्वक तरीके से उतरदातागण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पुराने राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी व खसरा गिरदावरियों से एवं नये राजस्व रिकार्ड से प्रश्नगत कृषि भूमि के उतरदातागण खातेदार काश्तकार है ओर काबिज व आबाद है। उक्त धारा में वादीगण ने यह दर्ज किया है कि सम्वत् 2018 में तिलोका पुत्र ईशर कौम जाट निवासी कसेरू ने स्वयं को उपकृषक बताकर राजस्व कर्मचारियों से साज करके रिकार्ड अपने नाम से करवाया है। उक्त तथ्य केवल बनावटी व मनगढ़त होने से अस्वीकार है, बल्कि सम्वत 2012 के राजस्व रिकार्ड से लगातार उतरदातागण एवं उनके पूर्वज तिलोका पुत्र इशर का कब्जा काश्त व स्वामित्व होना साबित है, जिसके आधार पर खातेदारी दर्ज की गई। वाकादीगण व उसके पूर्वजों का प्रश्नगत कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हुई है, इसलिये आवेदकगण का 1/2 हिस्सा होना कतई गलत है, आवेदकगण उक्त धारा में सम्वत 2018 से राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज होना स्वीकार करते है। लेकिन आज तक आवेदकगण ने उक्त गलत राजस्व रिकार्ड के बारे मे क्या कार्यवाही की है यदि कोई कार्यवाही नही की है तो इसका क्या कारण रहा है। इनके बाबत आवेदकगण ने कुछ भी दर्ज नही किया है इससे स्पष्ट हे कि आवेदकगण को प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड के बारे मे कोई ऐतराज नही था, लेकिन आवदेकगण के मन में बेईमानी पैदा हो गई है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष कि बहकावे में आकर उतरदातागण के हक अधिकार की प्रश्न कृषि भूमि हडपने के लिए करीबन 60 वर्ष पश्चात उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो टाईटल व कब्जे काश्त के अभाव में एवें मियाद बाहर पेश होने से खारिज होने योग्य है।

हालांकि उक्त धारा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 की उपधारा (ख) के अनुसार खातेदारी अवैध मानी जाने का अभिकथन दर्ज किया है लेकिन उक्त कथन के प्रावधान मे उक्त प्रकरण में लागू नही होते है। प्रथम तो आवेदकगण के कथनानुसार प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी कभी भी आवेदकगण व उसके पूर्वजो के नाम से दर्ज नही रही है। और ना ही उनका कब्जा काश्त रहा है इस कारण धारा 42 की उपधारा "ख" का उल्लघंन होने का प्रश्न पैदा नही होता है। द्वितीय आवेदकगण ने अनुसुचित जाति की कृषि भूमि की खातेदारी उतरदातागण व उनके पूर्वजो के नाम से सम्वत 2018 से दर्ज होना मानते है। लेकिन इसके मुताबिक भी धारा 42 की उपधारा ख का उल्लघंन नही हुआ है अर्थात उक्त धारा में दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण की कभी रही ही नही है तो अनुसुचित जाति की खातेदारी में होने का कोई मतलब ही नही है। और प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी उतरदातागण और उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज होने में धारा 42 के प्रतिबंन्ध लागू नही होते है इसलिए वाद पत्र व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 8 मे गलत तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। उक्त धारा में आवेदकगण ने यह दर्ज किया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि खातेदारी तिलोका पुत्र ईशर जाति जाट के नाम से अंकित होना एवं उसकी मृत्यू पश्चात नामान्तरकण संख्या 2 दिनांक 19.05.1986 व नामान्तकरण संख्या 291 दिनांक 20.08.2001 एवं

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण संख्या 869 दिनांक 05.09.2014 के द्वारा खातेदारी उसके वारिसान उतरदातागण व अनावेदकगण नम्बर 5 से 7 के नाम से दर्ज होना स्वीकार है। उक्त खातेदारी विधि अनुसार सही दर्ज हुई है, जिसके संबंध में किसी प्रकार की कोई गलती नही हुई है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि के उतरदातागण आज तक निर्विवाद रूप से खातेदार काश्तकार रहे है ओर काबिज व आबाद है एवं उपयोग–उपभोग कर रहे है। आवेदकगण व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त एवं खातदेारी होना गलत दर्ज किया है आवेदकगण के पक्ष में कभी राजस्व रिकार्ड दर्ज नही रहा है और आवेदकगण ने प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी गलत दर्ज होना बताया है, लेकिन आज तक गलत खातेदारी दर्ज हो जाने के विरूद्ध एवं उतरदातागण के पक्ष में भरे गये नामान्तकरणों के विरूद्ध कोई अपील, वाद पत्र एवं अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही क्यो, कैसे नही की जो महत्वपूर्ण तथ्य है, परन्तु अब आवेदकगण ने गलत तथ्य दर्ज करके बेईमानी से उतरदातागण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि को हडपने के लिए वेग वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कतई चलने योगय नही हैं तथ प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड व वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट कमीशनर से मंगवाई जानी न्यायहित में उचित है ताकि न्यायालय के समक्ष सही तथ्य पेश हो सके, लेकिन आवेदकगण ने सही तथ्यों को छुपाये है और आवेदकगण ने प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने व उतरदातागण को बेदखल करने की रिलीफ नही चाही है जिसके अभाव में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 9 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।उक्त धारा में दर्ज प्रश्नगत भूमि पुराने खसरा नम्बर 189 जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हेक्टर की खातेदारी उतरदातागण के पूर्वज तिलोका पुत्र ईशर के नाम से सही दर्ज हुई है। और उसके पश्चात नियमानुसार वारिसान व कब्जे काश्त की जांच की जाकर उतरदातागण के पक्ष में नामान्तकरण भरे जाकर खातेदारी दर्ज हुई है, जिसके संबंध में आवेदकगण का कोई लेना देना नही है जबकि आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 के आपस में मुख्य विवाद पुराने खसरा नम्बर 25, 179, 253 के बाबत है जिसके सबंध में उतरदातागण का कोई विवाद नही है लेकिन आवेदकगण ने गलत नियत से अपने आपसी विवाद में उतरदातागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर को शामिल करके गलत निर्णय पारित करवाने के आशय से उक्त आधारहीन वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 10 में तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 189 जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर का आवेदकगण ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही कब्जा काश्त है और ना ही उनके पूर्वजों के नाम से कभी राजस्व रिकार्ड दर्ज रहा है। इस कारण उतरदातागण का नाम हटाया जाकर आवेदकगण का नाम दर्ज करने का कानूनी रूप से कोई औचित्य नही है। और ना ही आवेदकगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की लोकस स्टैण्डाई है, आवेदकगण ने केवल अनुसुचित जाति के व्यक्ति होने का आधार बनाकर वाद पत्र पेश किया है जिसका कानून भी प्रकरण मे लागू नही होता है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 11 मे तथ्य गलत व मनगढत होने से अस्वीकार है। उक्त धारा में दर्ज नामान्तकरणों की सही तरीके से जांच पड़ताल करके कानूनी नियमों एवं प्रावधानों की पालना की जाकर भरे

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी

Scanned by CamScanner

जाकर तस्दीक हुये जिसमें किसी भी प्रकार से कानून की अवहेलना नही की है। और आवेदकगण ने आज तक भी उक्त नामान्तकरणों के विरूद्ध पेश करके चुनौति नही दी है तथा उक्त प्रकरण में अन्तर्गत धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन नही हुआ है केवल आवेदकगण ने उतरदातागण की कृषि भूमि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या कथन दर्ज किये है, जो काबिले विश्वास नही है।

प्रार्थना पत्र की धारा 12, 13, 14 व 15 गलत होने व मनगढंत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन पक्ष में नही है। आवेदकगण उतरदातागण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अनावेदकगण 8 लगायत 13 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त निवेदन किया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 189 जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 1.39 हैक्टर पर उतरदातागण का उनके पूर्वजो के समये से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब से कब्जा काश्त चला आ रहा है और काबिज व आबाद है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि की पहले खातेदारी उतरदातागण के पूर्वज तिलोका पुत्र ईशर के नाम दर्ज रही है। उसके स्वर्गवास पश्चात उसके स्थान पर नामान्तकरण भरे जाकर उतरदातागण के पक्ष में खातेदारी दर्ज हुई है इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ है। इस प्रकार से सम्वत 2012 से लगातार उतरदातागण व उनके पूर्वजो का शांति पूर्वक तरीके से कब्जा काश्त व स्वामित्व है तथा इसके दौरान आवेदकगण व उनके पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही खातेदार काश्तकार रहे है, लेकिन आवेकदगण ने करीबन 60 वर्ष पश्चात् उतरदातागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हडपने के लिए उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो टाईटल व कब्जे काश्त के अभाव मे एवं मियाद बाहर होने से खारिज किया जावे।

प्रश्नगत कृषि भूमि पर उतरदातागण व उनके पूर्वजो का जागिरदारी प्रथा के समय से कब्जा काश्त है और खातेदार काश्तकार है। आवेदकगण ने कब्जा काश्त प्राप्त करने व बेदखली का वाद पत्र पेश नही किया है जिसके अभाव में वाद पत्र विभाजन व घोषणार्थ का चलने योग्य नही होने खारिज किया जावे। कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड पहले तिलोका पुत्र ईशर के नाम रहा है। उक्त वाद में तिलोका की पुत्री को अणची को पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रश्नगत कृषि भूमि कभी भी अनुसुचित जाति की खातेदारी में दर्ज नही रही है। हमेशा से ही उतरदातागण की ,खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के प्रतिबंद्ध उक्त प्रकरण में लागू नही होते है। प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में भरे गये नामान्तकरणों को आवेदकगण ने अन्दर मियाद कभी चैलेंज नही किया है बल्कि गलत तथ्य दर्ज करके। उतरदातागण की कृषि भूमि को हडपने की बेईमानी से उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर आवेदकगण ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही उनका कब्जा काश्त है। इसलिए आवेदकगण को खातेदारी काश्तकार व कब्जाधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कानूनी हक नही होने प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदकगण को उक्त वाद पत्र पेश करने के लिए वादाधिकार कब, कैसे, व किस प्रकार पैदा हुआ इसके बारे में

Scanned by CamScanner

कुछ भी दर्ज नही किया है केवल काल्पनिक वादाधिकार बनाकर वाद पत्र पेश किया है। इसलिए वादाधिकार के अभाव मे वाद पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने की कृपा करे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनविार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– वकील अप्रार्थी की मुख्य आपति यह है कि जिस नामान्तरकरण के द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है वह अपील में निरस्त होकर तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन है। नामान्तरकरण के संबंध में दोनो पक्ष को तहसीलदार न्यायालय में चाराजोही करनी है तथा मूल वाद में भी दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत से अपना पक्ष साबित करना है, प्रकरण में यथास्थिति के आदेश से तहसीलदार न्यायालय की कार्यवाही भी बाधित होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।
2. सुविधा का संतुलन :– नामान्तरकरण निरस्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है।
3. अपूरणीय क्षति :– नामान्तरकरण निरस्त होने व तहसीलदार न्यायालय में नामान्तरकरण के सम्बन्ध में सुनवाई विचाराधीन होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

25-2-20

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:55:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: